डॉ0 त्यागराजन एस0एम0, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा दि0 22.08.2019 को 05.30 बजे अप0 में समाहरणालय कार्यालय प्रकोष्ठ में बाढ़ 2019 से संबंधित दैनिक समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश :–

1. उपस्थिति

आज बैठक में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी/प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा द्वारा गठित विभिन्न कोषांग के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। साथ हीं जिले के सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये ऑन लाईन उपस्थित हैं।

2.कार्यवाही

2.1 पी0एफ0एम0एस0

आज की समीक्षा में पाया गया कि Rejected by PFMS डाटा के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि सबसे अधिक डाटा दरभंगा सदर प्रखंड का लम्बित है, जो 2841 है। उसीप्रकार बिरौल का 2623, हनुमाननगर का 2460, कुशेश्वरस्थान का 2335, जाले का 2043, कुशेश्वरस्थान पूर्वी का 1937 है। सभी संबंधित अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी रिजेक्टेड डाटा का तत्काल सुधार कराकर पुनः भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त मिसमैच डाटा भी गौरा बौराम का 1416 दिख रहा है, अन्य अंचलों में भी मिसमैच डाटा है। सभी अंचलाधिकारी इसका भी समाधान तत्काल करेंगे।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि लॉक करने हेतु भी दरभंगा, कुशेश्वरस्थान, सिंहवाड़ा, बहादुरपुर आदि अंचलों में लाभार्थियों का डाटा अवशेष है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि सही डाटा को नियमानुसार शीघ्र लॉक करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त के अलावे पूर्व में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, मनीगाछी ने क्षेत्र से जानकारी प्राप्त किया और उनके सज्ञान में यह बात आयी कि लाभार्थियों का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के तकनीकी खराबी के कारण दुबारा हुआ है, उसकी गहन जांच करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया तथा अविलम्ब बैंक के माध्यम से निकासी पर रोक लगाने हेतु भी निदेश दिया गया। पूर्व में की गयी विडियो कॉन्फ्रेसिंग में अंचलाधिकारी, मनीगाछी के द्वारा इसप्रकार की घटना की जानकारी दी गयी थी, उस आधार पर उनसे जांच प्रतिवेदन मांगी गयी थी, उसे एन0आई0सी0 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्रसारित किया गया और इसकी सूचना विभाग के प्रधान सचिव को दी गयी। एन0आई0सी0 के द्वारा 3800 लाभार्थियों की सूची भेजी गयी, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर एवं अंचलाधिकारी, मनीगाछी क्षेत्र सत्यापन कर लेंगे कि वास्तविक भुगतान कितनी बार हुआ है।

सभी अंचलाधिकारी एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इसप्रकार के मामले में अविलम्ब निकासी पर रोक लगायें और अधोहस्ताक्षरी के सज्ञान में अविलम्ब लायें। सभी अंचलाधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसप्रकार का मामले की आसूचना संकलन होते रहे। बैंक में निकासी पर रोक नहीं संभव होने पर अविलम्ब लाभार्थियों को नोटिस निर्गत कर वसूली करायें। वसूली नहीं होने पर नीलामपत्र वाद प्रारंभ कर अंचलाधिकारी 45 दिनों के अन्दर वसूली सुनिश्चित करायेंगे।

तकनीकी रूप से विवाद उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए पंचायत सचिव या प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधियाची पदाधिकारी बनाया जा सकता है। नीलामपत्र पदाधिकारी अंचलाधिकारी रहेंगे। क्योंकि प्रथम दृष्टिकोण से इस प्रकार के मामले तकनीकी खराबी से हुई है, इसलिए किसी कर्मी पर कार्रवाई करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है, फिर भी अपर समाहर्त्ता, विभागीय जांच की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति, जिसमें जिला अवर निबंधक एवं एन0आई0सी0 के जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी शामिल हैं, वे सम्पूर्ण प्रतिवेदन अपने स्तर से देंगे एवं यदि कोई दोषी है, तो उन पर भी कार्रवाई की जायगी।

पुनः अंचलाधिकारी से यह जानकारी ली गयी कि लॉक एवं पुश कैसे किया जाता है। लॉकिंग अंचल में पदस्थापित आई0टी0 सहायक करते हैं एवं अंचलाधिकारी के अनुरोध पर जिलास्तर पर आई0टी0 सेल में प्रतिनियुक्त आई0टी0 सहायक पुश करते हैं। जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 के द्वारा यह जानकारी मिली है कि निर्धारित प्रपत्र में अंचलाधिकारी द्वारा डाटा भेज देने पर जिला में पुश की जाती है। पुनः अपर समाहर्त्ता लॉगिन में पुश करने के बाद पी0एफ0एम0एस0 से भुगतान होता है।

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 के द्वारा यह कहा गया कि मनीगाछी के मामले, जिसमें दुबारा भुगतान हुआ है, उसमें दो बार पुश होने का सबाल नहीं उठता है, क्योंकि उसप्रकार का विकल्प (Option) नहीं है। अंचलाधिकारियों से यह पूछा गया कि वर्त्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्त्तन की आवश्यकता है या नहीं। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला के व्यवस्था में कोई परिवर्त्तन की आवश्यकता नहीं है। एन0आई0सी0 से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं है, जैसे भुगतान की गयी सूची (Paid List) स्पष्ट नहीं होने के कारण क्षेत्र में मिलान नहीं हो पाता है और क्षेत्र में भुगतान सही ढंग से हुआ या नहीं जांच नहीं हो पाता है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा एन0आई0सी0 के जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि राज्यस्तरीय एन0आई0सी0 से वार्ता कर समाधान निकाले ताकि नियमित तौर पर भुगतान किये गये लाभार्थियों की स्पष्ट सूची सभी अंचलाधिकारी को उपलब्ध हो सके।

2.2 गृह क्षति

सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विभागीय निर्देश के आलोक में नियमानुसार सर्वे कराकर गृह क्षति का आंकड़ा जिला आपदा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2.3 फसल क्षति

फसल क्षति के संबंध में भी जिला कृषि पदाधिकारी पुनः निदेशित किया गया कि वे किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक के माध्यम से वास्तविक सर्वेक्षण कराकर अंचलाधिकारी से समन्वय करते हुए कुल कृषि योग्य भूमि, आच्छादित क्षेत्र, फसल क्षति संबंधी ऑकड़ा विहित प्रपत्र में तीन दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि तद्नुसार सरकार को संसूचित करते हुए आवंटन की मॉग की जा सके।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या 3597 /सी0, लहेरियासराय, दिनांक 22 वीं अगस्त, 2019 ।

प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, दरभंगा/प्रभारी, आई0टी0 सेल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।